छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 374/2006</u>

श्रीमती सुषमा गुप्ता,
पार्षद,
स्वामी विवेकानंद वार्ड क्र. 11,
सदर रोड,
अम्बिकापुर (सरगुजा)
(छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
आयुक्त
नगर पालिक निगम,
अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::

(दिनांक 16 जनवरी 2007)

श्रीमती सुषमा गुप्ता निवासी–अम्बिकापुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 06–03–2006 के द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर से श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, स्वच्छता निरीक्षक, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के द्वारा डीज़ल के क्रय, उपयोग की लागबुक, एवं भुगतान संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रति, सुलभ शौचालय में एक दिन की वसूली की जानकारी तथा ब्लीचिंग पावडर, चूना, फिनाईल के क्रय हेतु प्राप्त टेण्डर, स्वीकृति आदेश एवं मात्रा तथा प्रदाय सामग्री, प्राप्त करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम की जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान नहीं की। दिनांक 02–08–2006 को जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि लगभग 15,000 पृष्ठों की जानकारी है, जिसके लिए उसे रूपए 30,000/– रूपए अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए कहा गया। अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी, आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर को अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अपील पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। आयोग के द्वारा दिनांक 13–11–2006 को निर्देशित किया गया कि प्रथम अपील का शीघ्र निर्णय किया जावे। आयोग के अधिकारियों के द्वारा भी आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर से प्रथम अपील के निर्णय के संबंध में जानकारी दूरभाष पर चाही गई, किन्तु उनके द्वारा आयोग को कोई जानकारी नहीं दी गई।

3/ दिनांक 22–12–2006 को आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं देकर त्रुटि की गई है। साथ ही उसके द्वारा मांगी गई जानकारी अधिकतम 75 से 125 पेज की है, जबकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा 15,000/– पृष्ठों की जानकारी के लिए अभिलेख शुल्क मांगा गया है। अभिलेख शुल्क की गणना के संबंध में भी स्पष्ट रूप से सूचित नहीं किया गया है। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी के द्वारा अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया गया है, अतः उसे जानकारी नहीं दी गई। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि अपीलार्थी के द्वारा काफी विस्तृत जानकारी चाही गई थी। अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया था कि उसे किस अवधि की जानकारी चाहिए। उसके द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि श्री अवधेश पाण्डेय विगत 25 वर्षों से कार्यरत हैं, अतः इनके द्वारा किये गये डीज़ल क्रय एवं उपयोग की लागबुक भुगतान संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रति, ब्लीचिंग पावडर, चूना, फिनाईल क्रय करने हेतु टेण्डर जारी करने की तिथि, स्वीकृत करने के आदेश, क्रय की गई सामग्री की मात्रा एवं प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम आदि की जानकारी चाही गई थी। चूँकि जानकारी किस अवधि का चाहिए इसका उल्लेख नहीं था, अतः अनुमान से कार्यालय में उपलब्ध सभी अभिलेखों के आधार पर 15000 पृष्ठों का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी समय–समय पर अतिरिक्त जानकारी चाहती रहीं। चूंकि जानकारी अस्पष्ट थी, अतः इतने वर्षों के अभिलेख की प्रतिलिपि अनुमानित 15,000 मानकर उसे 30,000/– रूपए जमा करने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा जन सूचना अधिकारी को पत्र भेजा गया कि मांगी गई धनराशि अधिक है, अतः जन सूचना अधिकारी को इसके संबंध में अपीलार्थी को विस्तृत विवरण देना था, जो कि उनके द्वारा नहीं दिया गया।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि विस्तृत जानकारी अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई है, अतः जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर तिथि निर्धारित कर अपीलार्थी को निःशुल्क अभिलेखों का अवलोकन करायें तथा अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी 100 पृष्ठ तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। यदि जानकारी 100 पृष्ठों से अधिक है तो अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क की स्पष्ट जानकारी देते हुए शेष अभिलेखों का अभिलेख शुल्क लेकर जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

5/ चूंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है तथा अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी आयोग के निर्देशों के उपरांत भी अपील के निराकरण के संबंध में आयोग को सूचित नहीं किया गया है, जबकि प्रथम अपील के निराकरण करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। प्रतिअपीलार्थी–आयुक्त, नगर निगम का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी थी, अतः उसने अपील का निराकरण नहीं किया, मान्य नहीं है। नियमानुसार उसे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में अपील का निराकरण करना था। जन सूचना अधिकारी के द्वारा भी अपील के निराकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी आयोग के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपील लंबित है तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील लंबित

रहते हुए द्वितीय अपील की गई है, तथ्यों के विपरीत है। अतः उक्त दोनों अधिकारी जन सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिक निगम को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा पूर्ण जानकारी नहीं देने के कारण प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है, प्रकरण के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा भी अपने आवेदन–पत्र में स्पष्ट रूप से कौन–सी जानकारी किस अवधि की चाहिए यह स्पष्ट नहीं किया था, अतः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिअपीलार्थी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। फिर भी चूंकि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया तथा निर्धारित अवधि में उसे जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, जिससे उसे आर्थिक एवं मानसिक क्लेश हुआ, अतः आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को 200/– रूपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करें।

6/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 16–1–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त